/

।। कार्यालय चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नेछवा (सीकर) ।।

दिनांक :– 02/11/2021

क्रमांक : 570

निमित्त :–

उप वन संरक्षक,
सीकर।

विषयः–PROPOSED DIVERSION OF 0.95 HECT. AREA FOR CONSTRUCTION OF "CHC, NECHHWA",SIKAR SALASAR ROAD , VILLAGE- NECHHWA, RANGE - LAXMANGARH ,TEHSIL- LAXMANGARH, DISTT- SIKAR (RAJ.)
PROPOSAL NO. FP/RJ/DISP/50853/2020

संदर्भः–अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान, जयपुर का पत्रांक प.1(75)वन/2021 जयपुर दिनांक 25.10.2021 एवं आपका पत्रांक 10922 दिनांक 02.11.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि आपके पत्रांक 10922 दिनांक 02.11.2021 के साथ संलग्न अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान, जयपुर के ईडीएस दिनांक 24.09.2021 के क्रम में बिन्दुवार निम्नानुसार प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया है :–

क्र.सं.	ईडीएस बिन्दु	प्रतिउत्तर
1	Justification is required for proposing forest land rather than revenue land, while revenue land is available at the proposal sites.	सी.एच.सी. नेछवा हेतु भवन निर्माण के लिये ग्राम नेछवा में इस वन भूमि के अलावा अन्य कोई राजस्व भूमि उपलब्ध नही है। इस संबंध में उप खण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ द्वारा सी.एच.सी. हेतु सिवायचक भूमि या चारागाह भूमि अवस्थित नही होना बताया है (प्रति संलग्न)। इस कारण 0.95 है0 वन भूमि में ही डायवर्जन के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है।
2	User agency may be requested to revise proposal restricting diversion of forest land only for the CHC building.	सी.एच.सी. नेछवा हेतु 0.95 है0 से कम वन भूमि के लिये संशोधित डायवर्जन प्रस्ताव के संबंध में निवेदन है कि सी.एच.सी. नेछवा हेतु कम से कम 0.95 है0 वन भूमि की आवश्यकता है। उक्त वन भूमि को सी.एच.सी. के भवन निर्माण, आपातकालीन सेवा के स्टाफ हेतु क्वाटर्स, मोर्चरी निर्माण, स्टाफ व मरीजों के वाहनों की पार्किंग आदि के उपयोग में लिया जायेगा। डायवर्जन हेतु कम से कम 0.95 है0 वन भूमि की आवश्यकता है। सी.एच.सी. नेछवा के भवन निर्माण हेतु 0.95 है0 से कम वन भूमि की मांग करना संभव नही है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

Kuldeep

चिकित्सा अधिकारी,
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,
नेछवा (सीकर)

C.S.

(भीमा राम चौधरी)
उप वन संरक्षक
सीकर

डॉ. कुलदीप महला
चिकित्सा अधिकारी प्रभारी
सामु.स्वा.केन्द्र, नेछवा (सीकर)

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी,लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

दिनांक–23.11.2020

क्रमांकः– पीए / 2020 / 1484

प्रभारी
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
नेछवा

विषय– सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नेछवा के भवन हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नेछवा के भवन हेतु भूमि की जॉच करवाये जाने पर सीकर से सालासार मुख्य सडक मार्ग पर योग्य सिवायचक या चारागाह भूमि अवस्थित नहीं है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नेछवा के भवन हेतु भूमि केवल वन विभाग की ही उपलब्ध है। अतः आप उक्त भवन की भूमि का प्रस्ताव तैयार कर वन विभाग को भिजवाया जाये।

उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ

डॉ॰ कुलदीप महला
चिकित्सा अधिकारी प्रभारी
सामु.स्वा.केन्द्र,नेछवा (सीकर)

C.S.

(भीमा राम चौधरी)
उप वन संरक्षक
सीकर

कार्यालय उप तहसीलदार नेछवा

क्रमांक / राजस्व / 2020 / 47   दिनांक 19/11/2020

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
लक्ष्मणगढ़ ।

विषयः- सीएचसी नेछवा के भवन हेतु भूमि आवंटन के सम्बन्ध में।

प्रसंगः- श्रीमान जी का पत्रांक / 1415 दिनांक 5-11-20

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सादर निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में मौके व रिकार्ड की जांच की गई। चिकित्सा अधिकारी नेछवा द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नेछवा हेतु चाही गई भूमि सीकर से सालासर मुख्य सड़क मार्ग पर अवस्थित है जिसकी खातेदारी वन विभाग के नाम से दर्ज है। रिकार्ड से जांच में पाया कि ग्राम नेछवा में सीकर से सालासर सड़क के पास सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु आवंटन योग्य सिवायचक या चारागाह भूमि अवस्थित नहीं है। रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा में प्रेषित है।

हस्ताक्षर
N.T. NECHHWA
उप तहसीलदार, नेछवा
तह. लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

हस्ताक्षर
डॉ. कुलदीप महला
चिकित्सा अधिकारी प्रभारी
सामु.स्वा.केन्द्र नेछवा (सीकर)

C.S.
हस्ताक्षर
(भीमा राम चौधरी)
उप वन संरक्षक
सीकर